रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265323 CG-DL-E-08082025-265323

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3547]

No. 3547]

नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

का.आ. 3636(अ).— केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. राज बहादुर को प्रो.समीरन नंदी के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 10 जून, 2020 के का.आ. 1826(अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग ॥, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई.IV में निम्नलिखित संशोधन करती है -:

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

5313 GI/2025 (1)

## 9. डॉ. राज बहादुर

एम्स ऋषिकेश के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में **डॉ. राज बहादुर** का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/41/2024-पीएमएसएसवाई–IV(8291745)] अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2025

**S.O.** 3636(E).— In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Dr. Raj Bahadur** to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Rishikesh** in place of Prof. Samiran Nundy and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Number Z-28016/177/2019-PMSSY.IV dated the 18<sup>th</sup> May, 2020 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1826(E) dated the 10<sup>th</sup> June, 2020:

In the said notification, against serial number 9 and the entry relating thereto, the following to be substituted, namely:-

### 9. Dr. Raj Bahadur

The term of **Dr. Raj Bahadur** as member of the Institute body of AIIMS Rishikesh shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/41/2024-PMSSY-IV(8291745)] ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

का.आ. 3637(अ).— केंद्र सरकार, दिनांक 10 जून, 2020 के का.आ. 1827 (अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई.IV के अधिक्रमण में तथा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. राज बहादुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/41/2024-पीएमएसएसवाई–IV(8291745)] अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2025

S.O. 3637(E).—In supersession of Notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Number Z-28016/177/2019-PMSSY.IV dated the 18<sup>th</sup> May, 2020 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1827(E) dated the 10<sup>th</sup> June, 2020 and in exercise of the power conferred by section 7(1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Dr. Raj Bahadur** as the President of All India Institute of Medical Sciences, **Rishikesh**.

[F. No. Z-28016/41/2024-PMSSY-IV(8291745)] ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.